

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)

भाग -II

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या FP/CG/OFC/87496//2020

01. परियोजना / स्कीम का स्थान :-

- i राज्य/संघ शासित क्षेत्र :- छत्तीसगढ़
- ii जिला :- उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)
- iii वन प्रभाग :- वनमंडल कांकेर,
- iv वनेतर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में) :-

परिक्षेत्र	कक्षा क्र./ खसरा	रकबा (हे.में)
कांकेर	आरक्षित वन	0.502
नरहरपुर	संरक्षित वन	0.242
चारामा	नारंगी वन	1.016
सरोना कोरर	राजस्व वन	0.359
Total:-		2.119

- v वन की कानूनी स्थिति :- आरक्षित/संरक्षित/नारंगी/राजस्व वन।
- vi हरियाली का धनत्व :- निरंक।
- vii प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए) सिंचाई/ जलीय परियोजनाओं के संबंध में F.R.L. F. R.L.-2 मीटर पर परिगणना और F.R.L.-4 मीटर भी संलग्न की जाए) :- निरंक।
- viii भूक्षरण के लिये वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी। :- निरंक।
- xi वनेतर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन सीमा से अनुमानित दूरी। :- निरंक।
- x क्या प्रस्तावित क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण, जैवमंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर, आदि का भाग है। (यदि हाँ, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव बार्डन की टिप्पणियाँ अनुबंधित की जाये) :- नहीं।
- xi क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणीजात की दुर्लभ/ संकटापन्न/ विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है, यदि हाँ/तो तत्संबंधी ब्यौरा दें। :- निरंक।
- xii क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारंपरिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक इस क्षेत्र में स्थित है। यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो, दें। :- निरंक।
- 08 प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कॉलम-2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरा के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है। :- निरंक।

- 09 क्या अधिनियम उत्खनन में कोई कार्य किया गया है (हां/नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें, क्या उत्खनन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं। :- निरंक।
- 10 प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा -
- i प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र आसपास के वन से इसकी दूरी, भू-खंडों की संख्या प्रत्येक भू-खंड का आकार :- निरंक।
- ii प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेतर/अवक्रमित वन क्षेत्र और आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मानचित्र। :- निरंक।
- iii रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत दांचा आदि :- निरंक।
- iv प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिचय। :- 510 लाख रुपये।
- v प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और संबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्तांतरित किया जाए) :- निरंक।
- 11 जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कॉलम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पुछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें) :- निरंक।
- 12 विभाग/जिला प्रोफाइल :-
- i जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल :- कांकर जिले का भौगोलिक क्षेत्र 7247.959 वर्ग कि.मी. है।
- ii जिले का वन क्षेत्र :- जिले का कुल वन क्षेत्रफल 3686.685 वर्ग कि.मी. है।
- iii मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र :- वन मंडल अन्तर्गत 1980 से अब तक कुल 12 प्रकरणों में 126.569 हैं. वन भूमि वनेतर प्रयोग में लाया गया है।
- iv 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण - :- निरंक।
- क दंड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि :- निरंक।
- ख वनेतर भूमि पर :- निरंक।
- v तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति - :-
- क वन भूमि पर :- आरक्षित/संरक्षित/नारंगी/राजस्व वनभूमि।
- ख वनेतर भूमि पर :- निरंक।
- 13 प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश :- मोबाईल नेटवर्क कनेक्टिविटी का विस्तार एवं सुदृढीकरण से एल डब्ल्यूई क्षेत्रों में इंटेलिजेंस मॉनिटरिंग, शिक्षा, चिकित्सा तथा रोजगार सृजन के अवसर में वृद्धि होकर उस क्षेत्र का संपूर्ण विकास भी होगा। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्रों में पदस्थ सैनिक एवं अर्द्धसैनिक बलों तथा पुलिस के जवानों में पारस्परिक संवाद, सुविधा एवं आपात स्थिति में त्वरित सहायता उपलब्ध होगी। इस हेतु वन संरक्षण अधिनियम के तहत वनभूमि की व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।

दिनांक :- 21/04/2023

आलोक बाजपेई
(भा.व.से.)

वन मंडल अधिकारी
राजस्थान वन विभाग

प्रपत्र-3

वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव पर
वन संरक्षक/व.मं.अ.का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

- | | | |
|----|---|--|
| 1 | परियोजना का नाम | :- कांकेर वनमंडल अंतर्गत डोमपदर-मानपुर,कांकेर-डोमपदर,पुरियारा-विश्रामपुरी,चारामा-नरहरपुर,आमाबेड I-कोरर,कोरर-मालगांव एवं कांकेर-पुरियारा मुख्य मार्गों समानांतर कुल 183.560 कि.मी. सड़क के किनारे राईट ऑफ वे (आर.ओ.डब्ल्यू.) आष्टिकल फाइबर केबल बिछाने हेतु आरक्षित वनभूमि रकबा 0.502 हे.,संरक्षित वनभूमि रकबा 0.242 हे.,नारंगी वनभूमि 1.016 हेक्टेयर एवं राजस्व वनभूमि रकबा 0.359 हेक्टेयर कुल 2.119 हेक्टेयर। |
| 2 | आवेदक/आवेदक विभाग का नाम | :- महाप्रबंधक (कार्पो.अफेयर्स) जि.डि.फा. प्रायवेट लिमिटेड,चतुर्थ तल,अम्बुजा मॉल,विधानसभा रोड (सड्डू) रायपुर (छ.ग.) |
| 3 | गैर वानिकी कार्य हेतु जिस हेतु वन भूमि की मांग | :- आष्टिकल फाइबर केबल बिछाने हेतु। |
| 4 | आवेदित क्षेत्र की स्थिति | :- वनभूमि/राजस्व वनभूमि में कुल रकबा 2.119 हेक्टेयर। |
| 5 | वन भूमि का विस्तृत विवरण :- | :- निरंक। |
| | (क) राजस्व वनभूमि | :- 0.359 हेक्टेयर |
| | (ख) नारंगी वनभूमि | :- 1.016 हेक्टेयर |
| | (ग) संरक्षित वनभूमि | :- 0.242 हेक्टेयर |
| | (घ) आरक्षित वनभूमि | :- 0.502 हेक्टेयर |
| 6 | आवेदित वन क्षेत्र में वनों की वर्तमान स्थिति, प्रकार | :- - |
| 7 | आवेदित क्षेत्र में वृक्षों का विवरण | :- - |
| 8 | आवेदित क्षेत्र में प्राकृतिक पुनरुत्पादन की स्थिति | :- - |
| 9 | आवेदित क्षेत्र की (विशेष कर खनिज प्रकरणों में) मुख्य मार्ग से (पी.डब्ल्यू.डी./वन मार्ग आदि से दूरी (जिसे स्पष्ट रूप से मानचित्र में भी अंकित करें।) | :- - |
| 10 | क्या आवेदित क्षेत्र किसी Ecological Sensitive क्षेत्र (राष्ट्रीय उद्यान,अभ्यारण,क्योस्फेयर रिजर्व प्राकृतिक झील/वाटर बाडी, आदिवासी सेटलमेंट क्षेत्र,धार्मिक स्थल)की सीमा के 10 कि.मी. के अंतर्गत है अथवा नहीं?यदि हों तो संक्षिप्त विवरण प्रतिवेदित करें। | :- - |
| 11 | आवेदित वन क्षेत्र के अलावा अन्य गैर वन क्षेत्र विकल्प के रूप में प्रस्तावित गैर वानिकी कार्य हेतु उपलब्ध है अथवा नहीं (विशेष कर खनिज उत्खनन प्रकरणों में आवेदित क्षेत्र के आसपास के 20 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में गैर वन क्षेत्र का निरीक्षण कर जिलाध्यक्ष/भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा पूर्व स्वीकृत खदानों की संख्या बतावें एवं उसे मानचित्र पर भी दर्शाया जावें। | :- - |
| 12 | आवेदित क्षेत्र में आवेदक द्वारा अधिनियम का उल्लंघन किया गया है या नहीं? यदि हों तो संक्षिप्त विवरण दें। | :- - |

वन संरक्षण अधिकारी
कांकेर वनमंडल कांकेर
आलोक बाजपेई
(भा.व.से.)
वनमंडल अधिकारी
कांकेर वनमंडल कांकेर

स्थल निरीक्षण प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि कांकेर वनमंडल के परिक्षेत्र कांकेर, नरहरपुर, सरोना, चारामा, कोरर अंतर्गत वनभूमि/राजस्व वनभूमि डोमपदर-मानपुर, कांकेर-डोमपदर, पुरियारा-विश्रामपुरी, चारामा, नरहरपुर, आमाबेडा-कोरर, कोरर-मालगांव एवं कांकेर-पुरियारा मुख्य मांगों समानांतर कुल 183.560 कि.मी. सडक के किनारे राईट ऑफ वे (आर.ओ.डब्ल्यू.) ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 (FCA 1980) के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु प्रस्तावित भूमि का निरीक्षण दिनांक 21/4/23 को मेरे द्वारा किया गया।

उक्त प्रस्तावित स्थल पर कोई भी वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहे हैं। ना, हि कोई देवस्थल मूर्ति स्थापित नहीं है।

वन संरक्षण अधिनियम 1980 (FCA 1980) के तहत व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित भूमि में किसी भी प्रकार का कोई गैर वानिकी कार्य नहीं किया गया है।

महाप्रबंधक (कार्पो.अफेयर्स) जियो डिजिटल फाइबर प्रायवेट लिमिटेड, रायपुर (छ.ग.) अंतर्गत फाइबर केबल लाईन बिछाने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि के व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।

आलोक बाजपेई (भा.व.से.)

वन संरक्षण अधिकारी,
कांकेर वनमंडल कांकेर